तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट स्विकार कर दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन करने पर फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या – 61/2024

कूकालाल पिता मथु जी जाति धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1 दिनेश कुमार पिता कूकालाल धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं
2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं
3 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा बेगूं
4 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं
5 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अनिलकुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.12.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम छालिया की बैठक प.ह. मण्डावरी में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 2 तक की संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की निम्न कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
26	103	0.0240
	104	2.3800
	105	0.7280
	106	0.1860
कुल कीता–	4 कुल रकबा	3.3180 हैक्टर

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख 1 का 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपने अपने निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करते आ रहे है। यह कि वादी एव प्रतिवादीगण ने अपने अपने निहित हक हिस्से पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य आए दिन फसल बोते व घास चारा काटते समय सीमा संबंधी एवं लगान जमा कराने के सम्बन्ध में विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादी ने दिनांक 30.5.2024 को प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसील में चलकर बंटवाडा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण नें इन्कार कर दिया जिससे यह वाद पत्र वास्ते विभाजन घोषणा हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद वर्णित कलम संख्या एक में वर्णित संवत 2078 के राजस्व जमाबंदी में खाता संख्या 26 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/4–1/4 हक हिस्से की भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य वाद वर्णित भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित निहित हक हिस्से व कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद कारण दिनांक 30.05.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर विभाजन कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय में पेश है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है। श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ विभाजन घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाए गये है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री प्रदान की जावें :–

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित मौजा छालियों की बैठक प.ह. मण्डावरी तहसील बेगूं की राजस्व जमाबंदी संवत 2078 की खाता संख्या 26 में अंकित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हक हिस्सा कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर काबीजानुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादी की कृषि आराजीयात का खाता पृथक से राजस्व रिकोर्ड में एवं राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक की सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए किन्तु प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये। वादपत्र में एक तरफा साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथ वादी कुकालाल पिता माधु धाकड एवं गवाह अशोक पिता रतनलाल सुथार के प्रस्तुत किये गये, वादी ने अपने साक्ष्य शपथ पर मुख्य परीक्षण में अपने बयान को कलमबद्ध कराते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श करा अपने बयान पूर्ण कराये।

साक्ष्य वादी की एक तरफा पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0 पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए तथा रिकोर्ड में दर्ज अनुसार वादी का हिस्सा वर्णित कृषि आराजी मौजा छालियो की बैंठक प.ह. मण्डावरी की आराजी संख्या 103, 104, 105, 106 कीता–4 कुल रकबा 3.3180 हैक्टर भूमि में वादी का निहित हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 का निहित हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं0 2 का निहित हिस्सा 1/4 का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार तथा कब्जानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने का निवेदन करते हुए बाद विभाजन खाता वादी का राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक अंकन कराये जाने का निवेदन किया है।

बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमावंदी मौजा छालियो की बैठक प.ह. मण्डावरी जो कि प्रदर्श– 1 है का अवलोकन किया गया तो पाया कि मौजा छालियो की बैंठक प.ह. मण्डावरी की आराजी संख्या 103, 104, 105, 106 कीता–4 कुल रकबा 3.3180 हैक्टर भूमि में वादी का निहित हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 का निहित हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं0 2 का निहित हिस्सा 1/4 दर्ज है। प्रदर्श– 2 नक्शाट्रेस आराजीयात का है। वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की बैंक के रहन दर्ज है। चूंकि वादी वर्णित कृषि आराजीयात में अपने निहित हक हिस्सा 1/2 का विभाजन कराना चाहते है, वादी खातेदार है जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत अपने हक हिस्से की कृषि आराजीयात का विभाजन कराने का अधिकार है। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात मौजा छालियो की बैंठक प.ह. मण्डावरी की आराजी संख्या 103, 104, 105, 106 कीता–4 कुल रकबा 3.3180 हैक्टर भूमि में वादी का निहित हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 का निहित हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं0 2 का निहित हिस्सा 1/4 का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार तथा कब्जानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वर्णित कृषि भूमि का उपरोक्त हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि का विभाजन किया जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूं को दिये जाते है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर वर्णित कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ भिजवाने हेतु लिखा जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/929 दिनांक 27.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः दावा वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा पाडलिया की ईजक हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री कूकालाल पिता माधु धाकड नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
104 मेसे	0.7150
105	0.7280
106	0.1860
कीता– 03	01.6290 हैक्टर

2– श्री दिनेश पिता कूकालाल धाकड 1/2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड 1/2 नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
104 मेसे	1.6290
कीता– 01	1.6290 हैक्टर

3– श्री कूकालाल पिता माधु धाकड 1/2, दिनेश पिता कूकालाल धाकड 1/2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड 1/2 नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
103	0.024	गै.मु. आ.चा.
104 मेसे	0.0360	रास्ता
कीता– 02	0.0600 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या :- 51/2024

कूकालाल पिता माधु जी जाति धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं ....वादी

बनाम

1 दिनेश कुमार पिता कूकालाल धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं
2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड़ निवासी पाडावास तह0 बेगूं
3 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा बेगूं
4 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं
5 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़ ....प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 09.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा छालियों की बैंठक हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री कूकालाल पिता माधु धाकड नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
104 मेसे	0.7150
105	0.7280
106	0.1860
कीता– 03	01.6290 हैक्टर

2– श्री दिनेश पिता कूकालाल धाकड 1/2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड 1/2 नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
104 मेसे	1.6290
कीता– 01	1.6290 हैक्टर

3– श्री कूकालाल पिता माधु धाकड 1/2, दिनेश पिता कूकालाल धाकड 1/2 शांतिलाल पिता कूकालाल धाकड 1/2 नि पाडावास खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
103	0.024	गै.मु. आ.चा.
104 मेसे	0.0360	रास्ता
कीता– 02	0.0600 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/964 दिनांक :– 15/12/25

दावा संख्या 51/2024 व कूकालाल बनाम दिनेश कुमार वगै वाद अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं